HJU

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय

HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांक: प.5(33)एचजेयू/जीएडी/मीटिंग/वि.प.–III/2022/12027 दिनांक: 23/2/22

विद्यापरिषद् की तृतीय बैठक दिनांक 18.02.2022 का कार्यवाही विवरण

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 25 के अन्तर्गत गठित विद्यापरिषद् की तृतीय बैठक दिनांक 18.02.2022 को दोपहर 3.00 बजे ''मन्थन'' सभागार, द्वितीय तल, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में विद्यापरिषद् के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री ओम थानवी	कुलपति एवं अध्यक्ष विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
2	श्रीमती अलका सक्सेना	अतिरिक्त निदेशक एवं नाम निर्देशित प्रमुख सचिव सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
3	डॉ. फिरोज अख्तर	संयुक्त सचिव एवं नाम निर्देशित प्रभारी सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
4	डॉ. विश्वपति त्रिवेदी	कुलाधिपति द्वारा मनोनीत सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
5	श्री ओम सैनी	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
6	डॉ. अजय कुमार सिंह	डीन, जनसंचार संकाय अध्यक्ष एवं सदस्य विद्यापरिषद् एवं संयोजक BoS, एचजेयू, जयपुर
7	डॉ. मनोज कुमार लोढा	अध्यक्ष BoS, एचजेयू, जयपुर
8	डॉ. ऋचा यादव	संयोजक BoS, एचजेयू, जयपुर
9	श्रीमती शालिनी जोशी	संयोजक BoS, एचजेयू, जयपुर
10	अबु सुफियान चौहान	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

बैठक का आरम्भ कुलसचिव महोदय द्वारा विद्यापरिषद् के विभिन्न पदाधिकारियों के स्वागत तथा कुलपति महोदय द्वारा उद्बोधन में विश्वविद्यालय की विशिष्ट अपेक्षाओं और आवश्यकताओं की चर्चा के साथ किया गया। तदुपरान्त विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित विद्यापरिषद् के कृत्यों/शक्तियों के अनुसार बैठक में कार्यसूची (एजेंडा) पर बिन्दुवार विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। बैठक में पारित निर्णयों का कार्यसूचीवार विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निर्णय/टिप्पणी
3–1	विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् की द्वितीय बैठक दिनांक 06.02.2021 के निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया। एजेंडा 2–4 के संबंध में यह सुझाव आया कि स्ववित्तपोषी पाठ्यक्रमों में बाह्य विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाएं। एजेंडा 2–6 के सबंध में सुझाव था कि शुल्क स्थगित करने के स्थान पर भविष्य में शुल्क छूट का उल्लेख किया जाए। एजेंडा 2–12 पर सुझाव था कि कतिपय वर्गों को शुल्क–छूट के साथ सरकार से इसके अंशदान की मांग की जाए।
3–2	विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की विशेष बैठक प्रथम एवं द्वितीय के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन	सर्वसम्मति से अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
3–3	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 44(क), (ख) एवं (ग) के अनुसरण में तैयार परिनियमों (Statutes for the Consititution, Powers and Duties of the Finance Committee of the University) के प्रारूप पर विचार एवं अनुमोदन।	विद्यापरिषद् को सूचित किया गया।
3–4	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 44(क), (ख) एवं (ग) के अनुसरण में तैयार परिनियमों (Statutes for Designation, Manner of Appointment, Powers, Duties and Service Conditions of the Officers of the University) के प्रारूप पर विचार एवं अनुमोदन।	गहन विचार–विमर्श उपरान्त तैयार किए गए परिनियम के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

3–5	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 46 एवं 47 के अनुसरण में तैयार आर्डिनेंस (Ordinance for the Certificate and Diploma Courses of Study) के प्रारूप पर विचार एवं अनुमोदन।	गहन विचार–विमर्श उपरान्त तैयार किए गए ऑर्डिनेंस के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
3–6	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 48 के अनुसरण में तैयार विनियमों (Regulations for Procedure to be adopted in the Board of Management Committee) के प्रारूप पर विचार एवं अनुमोदन।	विद्यापरिषद् को सूचित किया गया।
3–7	विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित शोध आर्डिनेंस में संशोधन किए जाने सम्बन्धी राज्यपाल सचिवालय के का पत्र पर विचार एवं निर्णय हेतु	गहन विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शोध ऑर्डिनेंस (Ord. 01) के बिन्दु संख्या 4.8 में राज्यपाल सचिवालय की मंशानुसार "The University will devise its own admission procedure, along with eligibility conditions to ensure that most of the seats under these categories are filled." को जोड़कर संशोधित ऑर्डिनेंस को कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन के लिए पुनः प्रेषित कर दिया जाए।
3–8	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 26(i) के अनुसरण तथा राज्य सरकार की सलाह अनुरूप शैक्षणिक सत्र 2020–21 में संचालित विभिन्न पाठ्ययोजनाओं की सैमेस्टर परीक्षाओं की कार्ययोजना संबंधी आदेश क्रमांक 7870 दिनांक 30.03.2021 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से आदेश का अनुमोदन किया गया।
3–9	विश्वविद्यालय में बीए–जेएमसी पाठ्यक्रम के आदेश क्रमांक 4990 दिनांक 07.11.2020 एवं आदेश क्रमांक 2811 दिनांक 13.05.2020 के क्रम में परीक्षा योजना के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 8233 दिनांक 03.04.2021 का अनुमोदन	सर्वसम्मति से आदेश का अनुमोदन किया गया।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

3–10	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 7(ख) व (ग) के अनुसरण में विभिन्न अध्ययन बोर्डों की अनुशंसानुरूप सत्र 2021–22 में विभिन्न पाठ्ययोजनाएँ मय स्तर, अवधि, सीट आदि संचालित किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 8582 दिनांक 24.06.2021 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से आदेश का अनुमोदन किया गया।
3–11	विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 26(1) (i) के अनुसरण में विश्वविद्यालय में आनंदम पाठ्यक्रम की मूल्यांकन पद्धति से संबंधित आदेश क्रमांक 8774 दिनांक 07.07.2021 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से आदेश का अनुमोदन किया गया।
3–12	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 7(ञ) के अनुसरण में सत्र 2021–22 हेतु स्ववित्तपोषी योजना में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना संबंधी आदेश क्रमांक 8830 दिनांक 15.07.2021 का अनुमोदन	सर्वसम्मति से आदेश का अनुमोदन किया गया।
3–13	कोविड–19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के कारण राज्य सरकार के पत्र दिनांक 04.07.2021 के अनुसरण में सत्र 2020–21 की लम्बित परीक्षाओं की कार्य योजना के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 8843 दिनांक 15.07.2021 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से आदेश का अनुमोदन किया गया।
3–14	विश्वविद्यालय के शोध ऑर्डिनेंस के बिन्दु संख्या 05 के प्रावधानानुरूप विभागीय शोध समिति की प्रथम बैठक की संस्तुति अनुरूप शिक्षकों को शोध निर्देशक के रूप में मान्यता दिए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 8703 दिनांक 30.06.2021 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से आदेश का अनुमोदन किया गया।
3–15	शैक्षणिक सत्र 2021–22 से विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्ययोजनाओं के लिए प्रवेश नीति 2021–22 के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 8912 दिनांक 22.07.2021 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से आदेश का अनुमोदन किया गया।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

HJU

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

3–16	कोविड–19 संक्रमण से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों, विद्यार्थी संख्या में अभिवृद्धि एवं शिक्षण कार्य सुचारू करने हेतु प्रवेश नीति 2021–22 के नियम 1.1.1 एवं 2.1.1 में शिथिलन दिए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 8921 दिनांक 22.07.2021 का अनुमोदन	सर्वसम्मति से आदेश का अनुमोदन किया गया।
3–17	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 7(ञ) के अनुसरण में शुल्क निर्धारण समिति के प्रस्तावानुरूप शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु स्ववित्तपोषी योजना में संचालित डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स की शुल्क संरचना का संशोधित आदेश क्रमांक 9005 दिनांक 28.07.2021 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से आदेश का अनुमोदन किया गया।
3–18	विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन में सहयोग, प्राथमिक चिकित्सा और आपदा प्रबन्धन के कौशल प्रदान करने तथा जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहयोग हेतु रेडक्रॉस से MoU किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव क्रमांक 9886 दिनांक 02.08.2021 पर विचार एवं अनुमोदन।	रेडक्रॉस से MoU किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
3–19	विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए जारी शुल्क सम्बन्धी आदेश क्रमांक 7367 दिनांक 22.02.2021 एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को कतिपय शुल्कों में वसूली स्थगित किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 9382 दिनांक 21.08.2021 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से आदेश का अनुमोदन किया गया।
3–20	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 7(ग) एवं धारा 28 (1) व (2) के अनुसरण में विभिन्न पाठ्ययोजनाओं के पाठ्यक्रम विहित करने हेतु अध्ययन बोर्डों के गठन संबंधी आदेश क्रमांक 9443 दिनांक 28.08.2021 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से आदेश का अनुमोदन किया गया।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

3–21	पाठ्ययोजना में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के प्रवेश नियम संख्या 3.15 में शिथिलन देने सम्बन्धी आदेश क्रमांक 10311 दिनांक 26.11.2021 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से आदेश का अनुमोदन किया गया।
3–22	निदेशक, शैक्षणिक परिसर के पद पर डॉ. अजय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदस्थापन में एक वर्ष की अभिवृद्धि के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 10322 दिनांक 26.11.2021 का अनुमोदन।	विद्यापरिषद् को सूचित किया गया।
3–23	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुरूप एवं वित्त समिति, विद्यापरिषद एवं प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन अनुरूप विश्वविद्यालय में शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध एवं सेवा संबंधी गतिविधियों को सम्पादित किए जाने हेतु मीडिया जगत के अनुभवी व्यक्तियों को एड्जंक्ट फैकल्टी के रूप में निर्धारित मानदेय पर आदेश क्रमांक 6470 दिनांक 02.01.2021 के माध्यम से सूचीबद्ध किया गया था। उक्त में से 04 विद्वानों को यूजीसी नियम एवं प्रक्रियानुसार सूचीबद्ध किए जाने की अवधि को 01 वर्ष विस्तारित किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 10879 दिनांक 24.12.2021 का अनुमोदन।	विद्यापरिषद् को सूचित किया गया।
3–24	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम एवं वित्त समिति की प्रथम बैठक के निर्णयानुरूप विश्वविद्यालय में एड्जंक्ट प्रोफेसर (फोटोजर्नलिज्म) के रूप में अनुभवी पत्रकार श्री हिमांशु व्यास को सूचीबद्ध किए जाने सम्बन्धी आदेश क्रमांक 10989 दिनांक 04.01.2022 का अनुमोदन।	विद्यापरिषद् को सूचित किया गया।
3–25	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार विश्वविद्यालय में मीडिया जगत के 02 पेशेवर एवं प्रख्यात व्यक्तियों को विशिष्ट अभ्यागत विद्वानों के रूप में आमंत्रित किए जाने के अनुमोदन संबंधी आदेश क्रमांक 11294 दिनांक 27.01.2022 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 11828 दिनांक 16.02.2022 का अनुमोदन।	विद्यापरिषद् को सूचित किया गया।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

3–26	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 18(2) के प्रावधानों के अनुसरण में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं होने तथा एकमात्र एसोसिएट प्रोफेसर के विरूद्ध आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी पूछताछ जारी होने के कारण 02 असिस्टेंट प्रोफेसरों को संकायाध्यक्ष बनाए जाने सम्बन्धी आदेश क्रमांक 11327 दिनांक 28.01.2022 का अनुमोदन।	आदेश का अनुमोदन किया गया। डॉ. मनोज कुमार लोढा, अध्यक्ष BoS – मीडिया स्टडीज विभाग द्वारा "एजेंडा संख्या 3–26 के अनुमोदन और कथन पर असहमति" जताई गई। उनका कथन था कि आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। इस संबंध में माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित सदस्य डॉ. विश्वपति त्रिवेदी, का कथन था कि किसी भी जाँच प्रक्रिया के प्रारंभ होने के बाद दोषमुक्ति होने तक संबंधित के नाम पर विचार किया जाना उचित नहीं है तथा दोषमुक्ति के उपरान्त उनके नाम पर पुनः विचार किया जा सकता है। इस पर अन्य सदस्यों ने भी सहमति व्यक्त की।
3–27	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 5(i)(ii) एवं 7(ग) में विहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय के दोनों संकायों के 05 विभागों में संचालित विभिन्न स्नातकोत्तर, स्नातक, पी जी डिप्लोमा, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स की पाठ्ययोजनाओं के सत्र 2021–23/2021–24 के पाठ्यक्रम लागू किए जाने सम्बन्धी आदेश क्रमांक 11338 दिनांक 29.01.2022, क्रमांक 11347, दिनांक 29.01.2022, क्रमांक 11356 दिनांक 29.01.2022, क्रमांक 11365 दिनांक 29.01.2022, क्रमांक 11374 दिनांक 29.01.2022 एवं क्रमांक 11383 दिनांक 29.01.2022 एवं नवीन पाठ्यक्रमों (संलग्न) का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से आदेश का अनुमोदन किया गया।
3–28	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसरण में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों के सम्पादन हेतु श्री रतन सिंह शेखावत को सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता के पद पर नियुक्ति संबंधी आदेश क्रमांक 11392 दिनांक 29.01.2022 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से आदेश का अनुमोदन किया गया।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

3–29	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 5(i), (ii) व (iii) में विहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धारा 7(ट) के प्रावधान अनुरूप विश्वविद्यालय में अध्यापन और अनुसंधान की गतिविधियों के सुचारू संपादन हेतु विभिन्न शैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती हेतु अधिनियम की धारा 13 (6) में कुलपति महोदय को प्राप्त शक्तियों के आधार पर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ के लिए न्यूनतम अर्हता एवं चयन मापदंडों का नियमावली के अनुरूप निर्धारण किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 9652 दिनांक 17.09.2021 का अनुमोदन।	विद्यापरिषद् को सूचित किया गया।
3–30	विश्वविद्यालय में एम्पैनल्ड एड्जंक्ट फैकल्टी द्वारा यूजीसी प्रावधान के अनुसार प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रतिमाह अधिकतम 20 दिन तक परिसर में सेवाओं के सत्यापन अनुरूप नियत दर पर भुगतान किए जाने वाले आदेश क्रमांक 10521 दिनांक 08.12.2021 का अनुमोदन।	विद्यापरिषद् को सूचित किया गया।
3–31	**अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से**	
3–32	विश्वविद्यालय के सत्र 2021–22 के एकेडमिक कलेंडर का अनुमोदन	सर्वसम्मति से एकेडमिक कलेंडर का अनुमोदन किया गया।
3–33	विश्वविद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन पद्धति में संशोधन संबंधी प्रस्ताव दिनांक 17.02.2022 पर विचार एवं अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। सुझावानुसार इस संबंध में वरिष्ठ परामर्शक (अकादमिक एवं विनियमन) से विमर्श कर आदेश जारी किया जाए, जो आगामी बैठक में प्रतिवेदनीय होगा।
3–34	विश्वविद्यालय द्वारा किए गए विभिन्न समझौता ज्ञापनों (MoU) की पुष्टि।	विश्वविद्यालय द्वारा किए गए विभिन्न समझौता ज्ञापन पर संतुष्टि जाहिर करते हुए पुष्टि की गई।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

आखिर में बैठक में विचार–विमर्श अनुसार तत्काल तैयार कार्यवाही विवरण की सहमति पर पदाधिकारियों के हस्ताक्षर निम्नानुसार है :

क्र. सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री ओम थानवी	कुलपति एवं अध्यक्ष विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	
2	श्रीमती अलका सक्सेना	अतिरिक्त निदेशक सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	
3	डॉ. फिरोज अख्तर	संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	
4	डॉ. विश्वपति त्रिवेदी	कुलाधिपति द्वारा मनोनीत सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	
5	श्री ओम सैनी	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	
6	अबु सुफियान चौहान	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	
7	डॉ. अजय कुमार सिंह	डीन, जनसंचार संकाय अध्यक्ष सदस्य विद्यापरिषद एवं संयोजक BoS, एचजेयू, जयपुर	
8	डॉ. मनोज कुमार लोढा	अध्यक्ष BoS, मीडिया अध्ययन विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	

9	डॉ. ऋचा यादव	संयोजक BoS, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एण्ड पब्लिक रिलेशंस विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	
10	श्रीमती शालिनी जोशी	संयोजक BoS, न्यू मीडिया विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	
11	श्री अशोक के. नगावत	वरिष्ठ परामर्शक (अकादमिक एवं विनियमन) विशेष आमन्त्रित सदस्य	